न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–60 / 2014–15

हीरामणी देवी वगैरह बनाम बैजनाथ प्रसाद गुप्ता

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/6/18	**आदेश** यह वाद आवेदकगण के द्वारा पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा ढकनपुरा, थाना नं0 07, खाता नं0 477, 481 खेसरा सं0 135, 136 रकवा 4 कठ्ठा 7 धूर 5 धुरकी के लिए विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 1064(क) को रद्द करने हेतु स्मार किया गया है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी को नोटिस की गयी। सामान्य एवं निबंधित नोटिस के वाद भी विपक्षी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 06.10.2016 के दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। दिनांक 18.07.2017 को अमित कुमार, पिता स्व0 बैजनाथ प्रसाद गुप्ता के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया कि इस वाद के विपक्षी बैजनाथ प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 23.11.2015 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए बैजनाथ प्रसाद गुप्ता के स्थान पर उनके पुत्र अमित कुमार को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया, जिसे दिनांक 24.10.2017 को स्वीकार किया गय। विपक्षी के द्वारा दिनांक 12.12.2017 को अपना प्रतिउत्तर दायर किया गया। इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 05.09.2017 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। प्रथम पक्ष दिनांक 05.09.2017 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। प्रथम 05.09.17, 24.10.17, 12.12.17, 30.01.18, 13.03.18, 05.05.18 एवं 07.05.18 को लगातार 07(सात) तिथियों को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 07.05.2018 को प्रथम पक्ष को अंतिम मौका दिया गया। प्रथम पक्ष आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। **प्रथम पक्ष के आवेदन के अनुसार** (1) प्रश्नगत भूखण्ड उभय पक्ष की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के द्वारा दिनांक 11.06.1969 के निबंधित विक्रय पत्र से खरीदी गयी थी। (2) श्रीमती लक्ष्मी देवी वर्ष 1986 ने अपने पीछे 07(सात) पुत्र बैजनाथ प्रसाद गुप्ता (विपक्षी) सुशील कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, अरूण कुमार गुप्ता, अश्विनी कुमार गुप्ता, प्रकाश कुमार गुप्ता, राजू कुमार गुप्ता एवं 05(पाँच) पुत्री हीरामणी देवी (विपक्षी सं0 01) इन्द्रमणी देवी (विपक्षी सं0 02) नीलम गुप्ता, रेणु गुप्ता (विपक्षी सं0 3) एवं ज्योति गुप्ता को छोड़ कर स्वर्गवास कर गयी। (3) लक्ष्मी देवी की मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पति पर उनके सभी	

(मनीष)

पुत्र एवं पुत्री संयुक्त रूप से दखलकार हुए। लक्ष्मी देवी के उतराधिकारियों के बीच अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है।

(4) विपक्षी बैजनाथ प्रसाद गुप्ता ने सम्पति को हड़पने की नीयत से दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{278}{3}$ वर्ष 1996–97 के द्वारा सम्पूर्ण विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज अपने नाम से कायम करवा कर जमाबंदी सं0 1064(क) कायम करवा ली, जबकि विपक्षी का विवादित भूखण्ड को मात्र $\frac{3}{12}$ हिस्सा ही होता है।

(5) विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत बनाने हेतु दिनांक 12.07.2012 को मे0 बिहार होम्स प्रा0लि0 के साथ एकरारनामा कर लिया गया। बिल्डर के द्वारा जब प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण कार्य आरम्भ किया गया तो इसकी जानकारी प्रथम पक्ष को हुयी। प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी से अपने हिस्से की मांग की गयी, परन्तु उनके द्वारा साफ इन्कार कर दिया गया।

(6) प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{278}{3}$ वर्ष 1996–97 की सत्यापित प्रति प्राप्त कर अंचलाधिकारी, पटना सदर के दिनांक 16.12.1996 के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 37/2013–14 दायर की गयी।

(7) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा नोटिस निर्गत करने के बाद विपक्षी उपस्थित नहीं हुए, तब भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा इस मंतव्य के साथ वाद को निष्पादित कर दिया गया कि यह मामला जमाबंदी रद्द का है। तत्पश्चात प्रथम पक्ष के द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर कर विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 1064(क) को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा दायर प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

(1) लक्ष्मी देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड अपने स्त्रीधन से बड़े पुत्र बैजनाथ प्रसाद गुप्ता के मकान बनाने हेतु खरीदी गयी थी। वर्ष 1969 में खरीदगी के बाद ही प्रश्नगत भूखण्ड बैजनाथ प्रसाद गुप्ता के दखल–कब्जा में रही तथा उक्त भूखण्ड पर बैजनाथ प्रसाद गुप्ता के द्वारा अपने पैसे से मकान का निर्माण कराया गया।

(2) वर्ष 1986 में लक्ष्मी देवी की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी बैजनाथ प्रसाद गुप्ता के दखल में थी, जिसका अपने नाम से दाखिल खारिज कराया गया तथा पटना नगर निगम को टैक्स का भी भुगतान किया जा रहा है।

(3) दखल एवं स्वत्व के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर बिल्डर के साथ एकरारनामा किया गया। इस वाद के प्रथम पक्ष अथवा लक्ष्मी देवी के अन्य उतराधिकारीगण के द्वारा कभी भी प्रश्नगत भूखण्ड पर हिस्से की मांग विपक्षी से नहीं की गयी।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर सब जज–VII आरा के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 601/2015 भी दायर है।

(5) विपक्षी के द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह मामला पारिवारिक सम्पति में बंटवारा से संबंधित है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने हिस्से का दावा किया जा रहा है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 77/2013–14 में दिनांक 16.07.2014 को पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि दाखिल खारिज वाद सं0 278/13 वर्ष 1996–97 में दिनांक 16.12.1996 को पारित आदेश की नकल दिनांक 10.01.1997 को ही प्राप्त की गयी थी, परन्तु सत्रह वर्षो के लम्बे अन्तराल के बार दाखिल खारिज अपील वाद सं0 37/2013–14 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा यह मानते हुए कि सत्रह वर्षो से कायम जमाबंदी के विरूद्ध अपील स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है, अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

प्रस्तुत वाद में लक्ष्मी देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में विपक्षी का मात्र $\frac{3}{12}$ हिस्सा होने की बात कही गयी है। लक्ष्मी देवी के किसी अन्य उतराधिकारी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड के हिस्से का निर्धारण सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है।

प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षी के नाम से वर्ष 1996–97 से कायम है। 20(बीस) वर्ष से कायम जमाबंदी को बिना पर्याप्त आधार के रद्द किया जाना विधि सम्मत नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद दायर है। उभय पक्ष व्यवहार न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त करें।

आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/6/17

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

30/6/17

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना